रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 300] नई दिल्ली, सोमवार, मई 13, 2019/वैशाख 23, 1941
No. 300] NEW DELHI, MONDAY, MAY 13, 2019/VAISAKHA 23, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मई, 2019

सा.का. नि. 360(अ).—पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, 8 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार उक्त नियम के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन जनहित में दी गई सूचना की अपेक्षा को समाप्त करने के पश्चात, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन (दूसरा संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 4 में, खण्ड (घ) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"**स्पष्टीकरण –** शंकाओं के दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि "क्लोरीनीकृत प्लास्टिक थैलियों" अभिव्यक्ति में मूत्र थैलियां, बहि:स्राव थैलियां, उदरीय थैलियां और वक्षीय जल निकास थैलियां सम्मिलित नहीं होंगी।"

3. उक्त नियमों की अनुसूची 3 की क्रम सं. 4 के सामने, स्तंभ (3) की मद सं. (vii) में, जो "महानिदेशक, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा द्वारा प्रचालित चिकित्सा निरीक्षण (एमआइ) कक्षों, जहाजों पर रोगी कक्ष या पनडुब्बी, स्टेशन चिकित्सा केन्द्रों तथा अग्रिम स्थानों में स्थित क्षेत्र अस्पतालों को छोड़कर अन्य स्वास्थ्य केन्द्रों का निरीक्षण और निगरानी (नियम 9)" में "(vii)" कोष्ठक औरअंक के स्थान पर "(viii)" कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

[फा.सं. 3-1/2000-एचएसएमडी]

अरविन्द कुमार नौटियाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 343 (अ) तारीख, 28 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात इनमें अधिसूचना सं. सा.का.नि. 234 (अ) तारीख 16 मार्च, 2018 और सं. सा.का.नि. 129 (अ) 19 फरवरी, 2019 द्वारा संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th May, 2019

G.S.R. 360(E).—In exercise of the powers conferred by Sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government, after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rule in public interest, hereby makes the following rules further to amend the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, namely:–

1. (1) These rules may be called the Bio-Medical Waste Management (Second Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 4, in clause (d), the following Explanation shall be inserted, namely:-

"**Explanation.-** For removal of doubts, it is hereby clarified that the expression "Chlorinated plastic bags" shall not include urine bags, effluent bags, abdominal bags and chest drainage bags.".

3. In Schedule III to the said rules, against serial number 3, in column (3), in item (viii), for the brackets and letters "(viii)", the brackets and letters "(vii)" shall be substituted.

[F. No. 3-1/2000-HSMD]

ARVIND KUMAR NAUTIYAL, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 343(E), dated the 28th March, 2016 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 234(E), dated the 16th March, 2018 and number G.S.R. 129(E), dated the 19th February, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.05.14 11:19:20 +05'30'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 113] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 20, 2019/फाल्गुन 1, 1940
No. 113] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 20, 2019/PHALGUNA 1, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2019

सा.का.नि. 129(अ).—पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, 8 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, उक्त नियम के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन जनहित में दी गई सूचना की अपेक्षा को समाप्त करने के पश्चात्, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों को जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2019 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 4 में, -

(i) खंड (ढ) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ढ), सभी बिस्तरयुक्त स्वास्थ्य केन्द्रों के मामले में, दिन-प्रतिदिन के आधार पर जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन रजिस्टर रखे और उसे अद्यतन करे और अनुसूची-I में यथा विनिर्दिष्ट श्रेणी एवं रंग की कोडिंग की दृष्टि से सृजित जैव चिकित्सा अपशिष्टों के अनुसार मासिक अभिलेख को बेवसाइट पर प्रदर्शित करें;"

(ii) खंड (त) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(त), सभी बिस्तरयुक्त स्वास्थ्य केन्द्रों के मामले में, (चाहे बिस्तरों की संख्या कितनी भी हो), जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2018 के प्रकाशन की तिथि से दो वर्षों की अवधि के अंदर अपनी बेवसाइट पर वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराएं;"।

3. उक्त नियमों की अनुसूची-II में, क्रम सं. 8 के सामने, मद सं. (1) में, टिप्पण में, खंड-3 के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"3. दस बिस्तरों से कम वाले स्वास्थ्य केन्द्रों को 31 दिसम्बर, 2019 की तारीख तक द्रव अपशिष्ट पदार्थ के लिए आउटपुट स्राव मानक का अनुपालन करना होगा।

4. उक्त नियमों की अनुसूची-III में,-

(i) क्र. सं. 3 के सामने, स्तंभ (3) में, मद सं. (vi) के पश्चात्, निम्नलिखित मद अंतर्लिखित की जाएगी, अर्थात्:-

"(vii) महानिदेशक, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा द्वारा प्रचालित चिकित्सा निरीक्षण (एमआई) कक्ष, जहाजों पर रोगी कक्ष या पनडुब्बी, स्टेशन चिकित्सा केन्द्र तथा अग्रिम स्थानों में स्थित क्षेत्र अस्पताल का निरीक्षण और निगरानी।"

(ii) क्र.सं. 4 के सामने, स्तंभ (3) में, मद सं. (viii) के लिए, निम्नलिखित मद अंतर्विष्ट की जाएगी, अर्थात्:-

"(vii) महानिदेशक, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा द्वारा प्रचालित चिकित्सा निरीक्षण (एमआई) कक्षों, जहाजों पर रोगी कक्ष या पनडुब्बी, स्टेशन चिकित्सा केन्द्रों तथा अग्रिम स्थानों में स्थित क्षेत्र अस्पतालों को छोडकर अन्य स्वास्थ्य केन्द्रों का निरीक्षण और निगरानी (नियम-9)।"

[फा.सं.3-1/2000-एचएसएमडी]

रितेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 343 (अ) तारीख 28 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्वर्ती अधिसूचना सं. सा.का.नि. 234 (अ) तारीख 16 मार्च, 2018 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2019

G.S.R. 129(E).—In exercise of the powers conferred by Sections 6,8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government, after having dispensed with the requirement of notice under clause(a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rule in public interest, hereby makes the following rules further to amend the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, namely:-

1. (1) These rules may be called the Bio-Medical Waste Management (Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 (herein after referred to as the said rules), in rule 4,-

(i) For clause (n), the following clause, shall be substituted, namely:-

"(n) ,in case of all bedded health care units, maintain and update on day to day basis the bio-medical waste management register and display the monthly record on its website according to the bio-medical waste generated in terms of category and colour coding as specified in Schedule I;";

(ii) For clause (p), the following clause shall be substituted, namely:-

"(p) ,in case of all bedded health care facilities (any number of beds), make available the annual report on its web-site within a period of two years from the date of publication of the Bio-Medical Waste Management (Amendment) Rules, 2018;".

3. In Schedule II to the said rules, against serial number 8, in item (1), in the Note, for clause 3, the following clause shall be substituted, namely: -

"*3. Health Care Facilities having less than ten beds shall have to comply with the output discharge standard for liquid waste by 31st December, 2019.*"

4. In Schedule III to the said rules, -

(i) Against serial number 3, in column (3), after item (vi), the following item shall be inserted, namely: -

"(viii) Inspection and monitoring of Medical Inspection (MI) rooms, sick bays onboard ships or submarines, station medical centres and field hospitals in forward locations operated by the Director General, Armed Force Medical Services.";

(ii) Against serial number 4, in column (3), for item (viii), the following item shall be is substituted, namely: -

"(viii) Inspection and monitoring of health care facilities other than Medical Inspection (MI) rooms, sick bays on board ships or submarines, station medical centres and field hospitals in forward locations operated by the Director General, Armed Forces Medical Services (Rule-9).".

[F. No. 3-1/2000-HSMD]
RITESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 343(E), dated the 28th March, 2016 and subsequently amended vide number G.S.R. 234(E), dated the 16th March, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2019.02.22 12:31:00 +05'30'